प्रेषक,

संख्याः 34 /VII-A-1/2020/5(14)/19

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड देहरादून।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादून, दिनांकः 27 जनवरी, 2020

विषयः राज्य क्षेत्रान्तर्गत यदि किसी खनन क्षेत्र में बिना पट्टाधारक की त्रुटि के उसे खनन कार्य करने से किसी अवधि के लिए रोका गया है तब खनन रोके जाने की अवधि को बाधित अवधि मानते हुए उक्त अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को खनन कार्य करने हेतु दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टा की स्वीकृत अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त स्वीकृत मूल अवधि के मध्य किन्हीं कारणों से खनन/चुगान कार्य न किये जाने की स्थिति में बाधित अवधि, जिसमें खनन पट्टाधारक का कोई दोष/त्रुटि न हो, अनुमन्य कराये जाने हेतु कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील (सिविल) 8681/2002 बेगराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में दिनांक 18.12.2002 को पारित निर्णय में निम्नवत् उल्लिखित है :–

"The delay in final decision cannot, in any manner, be attributed to the appellant. No auction has taken place. No third-party interest has been created. The sand mine has remained un-operated for the period for which the period of operation falls short of three years. The operation had to be stopped because of the order of the State Government intervening which order has been found unsustainable in accordance with stipulations contained in the mining lease consistently with G.O. issued by the State of Uttar Pradesh. Merely because a little higher revenue can be earned by the State Government that cannot be a ground for not enforcing the obligation of the State Government which it has incurred in accordance with its own policy decision".

2. मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के यह स्पष्ट है कि यदि किसी खनन क्षेत्र में किसी तृतीय पक्ष का अधिकार उत्पन्न न हुआ हो तथा क्षेत्र रिक्त हो और यह स्थापित होता हो कि पट्टाधारक की त्रुटि के बिना उसे खनन कार्य करने से किसी अवधि के लिए रोका गया हो, तब खनन रोके जाने की अवधि को बाधित अवधि मानते हुए उक्त अवधि के समतुल्य अवधि राज्य सरकार द्वारा पट्टाधारक को खनन कार्य हेतु प्रदान की जाती है।

3. उक्त के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि किसी खनन क्षेत्र में किसी तृतीय पक्ष का अधिकार उत्पन्न न हुआ हो तथा क्षेत्र रिक्त हो और यह स्थापित होता हो कि पट्टाधारक की त्रुटि के बिना उसे खनन कार्य करने से किसी अवधि के लिए रोका गया हो, तब खनन रोके जाने की अवधि को बाधित अवधि मानते हुए उक्त अवधि के समतुल्य अवधि पट्टाधारक को खनन कार्य करने हेतु प्रदान किये जाने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि यदि दिनांक 12.01.2020 को खनन पट्टे की विहित अवधि अवशेष है तब ही बाधित अवधि के समतुल्य अग्रेत्तर अवधि पट्टाधारक को खनन कार्य के सन्दर्भ में अनुमन्य की जायेगी एवं वित्तीय हानि न हो इसलिए रायल्टी की दरें वही होंगी जो वर्तमान में अनुमन्य हैं।

–2

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-752/XXVII(2)/2019-2020, दिनांक 24 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 34 (1)/VII-A-1/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
3. संयुक्त सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग के अशासकीय पत्र संख्या-4/2/II/XXI/2020-सी०एक्स०, दिनांक 14 जनवरी, 2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

भवदीय,

(डा० मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner